प्रेषक, ई-मेल द्वारा

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ, डा0 एस0पी0एम0(सिविल) चिकित्सालय, लखनऊ, यू0एच0एम0 चिकित्सालय, कानपुर नगर, मानसिक चिकित्सालय, बरेली।
2. अपर निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक, मोती लाल नेहरू चिकित्सालय इलाहाबाद, एस0एस0पी0जी0 चिकित्सालय वाराणसी, जिला चिकित्सालय झांसी, आगरा, गोरखपुर, मेरठ, अलीगढ़, मिर्जापुर, फैजाबाद, देवीपाटन, चित्रकूट, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर एवं आजमगढ़।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका जिला (पुरूष/महिला) चिकित्सालय उत्तर प्रदेश।
5. समस्त टी0बी0, कुष्ठ, नेत्र एवं अन्य चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: प्रशि0प्रको0/पुनर्योजन/2020-21/08 लखनऊ:दिनांक 05/01/2020

विषय- पुनर्योजित चिकित्सकों के सेवा विस्तार के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि महानिदेशालय के नवीन विशेषज्ञ एवं एम0बी0बीएस0 आदेश संख्या-प्रशि0प्रको0/पुनर्योजन/2019-20/5256, 5278 दिनांक 01.01.2020 एवं महानिदेशालय के विस्तार विशेषज्ञ एवं एम0बी0बीएस0 आदेश संख्या-प्रशि0प्रको0/पुनर्योजन विस्तार/2019-20/5267, 5289 दिनांक 01.01.2020 द्वारा आपके अधीन कतिपय चिकित्सकों की सेवानिवृत्त के उपरान्त पुनर्योजित चिकित्सक के रूप में तैनाती की गयी है। प्रश्नगत चिकित्सकों का सेवा विस्तार प्रदान किया जाना है। अतएव कोविड-19 की महामारी को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि वे चिकित्सक जिनकी परफामेंस अच्छी हो उनके विपरीत कोई तथ्य न हो तथा आयु 65 वर्ष से अधिक न हो सेवा विस्तार हेतु पूर्ण रूप से पात्र हो, का परीक्षण अपने स्तर से करते हुए अग्रिम आदेशों तक कार्य लेते रहे एवं नियमानुसार वेतन का भुगतान करें। निकट भविष्य में पुनर्योजन हेतु आहूत बैठक में प्रकरण विचारर्थ प्रस्तुत कर समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी। प्रकरण पर समिति का निर्णय अन्तिम होगा जो मान्य होगा, साथ ही जिन चिकित्सा अधिकारियों की आयु जिस तिथि को 65 वर्ष पूर्ण हो रही हो उसके पश्चात कार्य न लिया जाए और यदि उनसे कार्य लिया जाता है तो सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(डा0 (मेजर) देवेन्द्र सिंह नेगी)
महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

E:\All-Letter-2016\June 2016\Shanker\Letter.doc 4184